Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).**

**[Arms Appeal Case No.- 96 /2024]**

Afaque Akhtar.....Appellant

Versus

The State of Bihar.....Respondents.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **21.10.2025** | **आदेश**<br>यह आर्म्स अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं0-5706/2024 में दिनांक-27.6.2024 को पारित आदेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश दिनांक-19.9.2023 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।<br>दिनांक-10.10.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी (DM. Madhepuara) की ओर से Written Note of Argument दाखिल है।<br>उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि Petitioner आफाक अख्तर, पे0-मो0 मजीदुल हक, सा0-योगीराज, पो0-नया टोला, थाना-पुरैनी, जिला-मधेपुरा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका सं0-9948/2023 में दिनांक-29.08.2023 को पारित आदेश के आलोक में Petitioner द्वारा समर्पित आवेदन पर जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश दिनांक-19.09.2023 द्वारा जांचोपरांत शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि वे पेशा से वकील है तथा अनुमंडलीय न्यायालय, उदाकिशुनगंज में वकालत करते हैं। तथा उन्हें अपनी एवं परिवार की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। जबकि विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है।<br>जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। उक्त आदेश के Findings में अंकित है कि आवेदन पत्र में निम्नलिखित खामियाँ है यथा-<br>1. अग्नि आयुध के सुरक्षित भंडारण के लिए वचनबंध (प्ररूप-घ-2) में वर्णित सुरक्षित भंडारण के लिए अपना आवासीय मकान जिस जमीन में अवस्थित है, का कोई प्रमाणिक साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है और न ही जमीन का विवरण अंकित किया गया, जबकि वचन बंध प्ररूप के नीचे स्पष्ट रूप से निर्देश अंकित है। उक्त प्ररूप पर आवेदक के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, लेकिन नोटरी से हस्ताक्षर अभिप्रमाणित नहीं है।<br>2. विभागीय प्रावधान के आलोक में चिकित्सा पदाधिकारी के लेटर पैड पर फार्म-S-3 का प्रपत्र टंकण कराकर तदोपरान्त चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना था, जो नहीं किया गया है, बल्कि आवेदक द्वारा प्रपत्र पर ही चिकित्सा पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया है, जो आयुध नियम-11 के अनुकूल नहीं है।<br>3. आयुध नियम-10(1) के अनुसार फार्म-S1 में आग्नेयास्त्र चलाने हेतु प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र समर्पित करना है। आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है, जिस पर आजीवन सदस्य, इंडियन रायफल एशोशिएशन, भारत का हस्ताक्षर अंकित है, जो प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए अधिकृत नहीं है। जबकि आवेदक को निबंधित आग्नेयास्त्र प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना था।<br>अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी के स्तर से आर्म्स अधिनियम-1959 एवं आर्म्स नियमावली-2016 के संगत प्रावधानों के अनुसार आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन का निस्तार किया गया है। शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन तथा अर्हता के संदर्भ में पाये गये त्रुटियों का उल्लेख अपीलाधीन आदेश में किया गया है। अपीलाधीन आदेश में आर्म्स एक्ट-1959 के Section-14(3) के तहत Reasons for Refusal of Arms Licence यथोचित रूप | |

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा

**21.10.2025**

से अंकित है। Petitioner की ओर से जिला दण्डाधिकारी के उक्त Findings को Disprove करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। Petitioner की ओर से इस अपील वाद की सुनवाई में उपरोक्त अंकित कागजात/प्रमाण-पत्र जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ दाखिल करने के बिन्दु को प्रमाणित नहीं किया जा सका है।

उपरोक्त के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा -सह- अनुज्ञापन अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक-19.9.2023 संगत कानूनी प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।